



# सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, रविवार, 24 जुलाई, 1977  
श्रावण 1, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2183, सत्रह-वि०-57-77  
लखनऊ, 24 जुलाई, 1977

अधिसूचना  
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1977 पर दिनांक 24 जुलाई, 1977 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1977)

[ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, जौनसार वावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960, यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, उत्तर प्रदेश भूमि विकास अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने और कुमायूं नयाबाद और वन्जर भूमि का ऐक्ट, 1948 को निरसित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अर्टाईसर्वे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

अध्याय एक  
प्रारम्भिक

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जायगा।  
(2) यह 28 जनवरी, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम  
तथा प्रारम्भ

## अध्याय दो

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उ० प्र० अधि-  
नियम संख्या 1,  
1951 की धारा  
129 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 129 में, खण्ड (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:--

- “(1) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर,  
(2) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर;”

धारा 130 और  
131 का प्रति-  
स्थापन

3- मूल अधिनियम की धारा 130 और 131 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्:--

“130- निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 131 में अभिदिष्ट व्यक्ति न हो, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्--

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व भूमिधर था;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व, धारा 131 के, जैसा वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, खण्ड (क) या खण्ड (ग) में अभिदिष्ट, सीरदार था;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले।

131- निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायगा, और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात् --

(क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व धारा 195 के अधीन कोई भूमि सीरदार के रूप में या उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् उक्त धारा के अधीन असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में उठा दी जाय;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 के अधीन कोई भूमि प्रदिष्ट हो या की जाय।”

धारा 132 का  
संशोधन

4- मूल अधिनियम की धारा 132 में जहां कहीं भी शब्द “सीरदारी” आया हो उसके स्थान पर शब्द “भूमिधरी” रख दिया जायगा।

धारा 133 का  
संशोधन

5- मूल अधिनियम की धारा 133 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

“(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के पूर्व किसी भूमिधर या सीरदार ने, या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमिधर ने अपने खाते के अन्तर्गत भूमि को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पट्टे पर उठा दी हो।”

धारा 134 का  
निकाला जाना

6- मूल अधिनियम की धारा 134 निकाल दी जायेगी।

धारा 135 का  
निकाला जाना

7- मूल अधिनियम की धारा 135 निकाल दी जायेगी।

धारा 136 का  
निकाला जाना

8- मूल अधिनियम की धारा 136 निकाल दी जायेगी।

धारा 137 का  
संशोधन

9- मूल अधिनियम की धारा 137 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक “धारा 135” के पश्चात् शब्द और अंक “जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी,” बढ़ा दिये जायेंगे।

10- मूल अधिनियम की धारा 138 निकाल दी जायेगी।

धारा 138 का  
निकाला जाना

11- मूल अधिनियम की धारा 146 में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार या असामी" आये हों उनके स्थान पर शब्द "असामी" रख दिया जायगा।

धारा 146 का  
संशोधन

12- मूल अधिनियम की धारा 152 और 153 के स्थान पर निम्नलिखित धारारों रख दी जायेंगी, अर्थात्--

धारा 152 और  
153 का प्रति-  
स्थापन

"152- (1) असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का स्वत्व, आगे दी गई शर्तों के असंक्रमणीय अधिकार अधीन रहते हुए, संक्रमणीय होगा।  
वाले भूमिधरों द्वारा  
कतिपय-संक्रमण अनु-  
ज्ञेय होगा

(2) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, ऐसी परिस्थितियों में, जो नियत की जाय, अपनी जोत में अपने स्वत्व को राज्य सरकार से तकावी के रूप में या सहकारी समिति से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या किसी ऐसे अन्य बैंक से, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खण्ड (ड) के अर्थात्गत अनुसूचित बैंक हो, या उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से लिये गये ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में कब्जा दिये बिना, बंधक रख सकता है और अपनी जोत में, उस भाग को छोड़कर जो इस प्रकार बन्धक रखा गया हो, अपने स्वत्व को कृषि उद्यानकरण और पशुपालन की शिक्षा से सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये दान द्वारा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था को संक्रमित भी कर सकता है।

153- जैसा कि इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अनुज्ञात हो उसके सिवाय, असामी असामी का स्वत्व का स्वत्व संक्रमणीय नहीं होगा।  
संक्रमणीय नहीं होगा

13- मूल अधिनियम की धारा 156 में शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायगा।

धारा 156 का  
संशोधन

14- मूल अधिनियम की धारा 157 में, शब्द "सीरदार या" निकाल दिया जायगा।

धारा 157 का  
संशोधन

15- मूल अधिनियम की धारा 157-क में--

धारा 157-क का  
संशोधन

(क) शब्द "सीरदार" जहां वह प्रथम बार आया है, निकाल दिया जायगा;  
(ख) प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "भूमिधर, सीरदार या असामी" के स्थान पर शब्द "संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर या असामी" रख दिए जायेंगे।

16- मूल अधिनियम की धारा 160 में, शब्द "भूमिधर या सीरदार के, जैसी भी दशा हो" के स्थान पर शब्द "भूमिधर के" रख दिये जायेंगे।

धारा 160 का  
संशोधन

17- मूल अधिनियम की धारा 161 में, जहां कहीं भी शब्द "भूमिधर या सीरदार" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "भूमिधर" रख दिया जायगा।

धारा 161 का  
संशोधन

18- मूल अधिनियम की धारा 165 में,--

धारा 165 का  
संशोधन

(एक) शब्द "यदि धारा 157 में अभिदिष्ट भूमिधर से भिन्न कोई भूमिधर अपने खाते को या उसके किसी भाग को पट्टे पर दे दे तो" के स्थान पर शब्द "जहां किसी भूमिधर ने धारा 156 या धारा 157 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए अपने खाते को या उसके किसी भाग को पट्टे पर दे दिया हो, वहां" रख दिये जायेंगे;

(दो) खंड (क) में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।

19- मूल अधिनियम की धारा 166 में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।

धारा 166 का  
संशोधन

20- मूल अधिनियम की धारा 168 निकाल दी जायगी।

धारा 168 का  
निकाला जाना

21- मूल अधिनियम की धारा 168-क में, उपधारा (3) में शब्द और अंक "और 168" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 168-क  
का संशोधन

22- मूल अधिनियम की धारा 169 में, जहां कहीं भी शब्द "भूमिधर" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।

धारा 169 का  
संशोधन

23- मूल अधिनियम की धारा 170 में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।

धारा 170 का  
संशोधन

24- मूल अधिनियम की धारा 171 में, शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायगा।

धारा 171 का  
संशोधन

- धारा 172 का संशोधन 25—मूल अधिनियम की धारा 172 में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार", "या सीरदार" और "अथवा सीरदार" आये हों, उनको निकाल दिया जायगा।
- धारा 172-क का निकाला जाना 26—मूल अधिनियम की धारा 172-क निकाल दी जायगी।
- धारा 174 का संशोधन 27—मूल अधिनियम की धारा 174 में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसे निकाल दिया जायगा।
- धारा 176 का संशोधन 28—मूल अधिनियम की धारा 176 में, शब्द "और सीरदार" निकाल दिये जायेंगे।
- धारा 178 का संशोधन 29—मूल अधिनियम की धारा 178 में, उपधारा (3) में, खंड (ख) में, शब्द और अंक "धारा 134" के पश्चात् शब्द और अंक "जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमिभविधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी" बढ़ा दिये जायेंगे।
- धारा 182-ख का संशोधन 30—मूल अधिनियम की धारा 182-ख में, शब्द "या सीरदार" निकाल दिये जायेंगे।
- धारा 183 का संशोधन 31—मूल अधिनियम की धारा 183 में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।
- धारा 185 का संशोधन 32—मूल अधिनियम की धारा 185 में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।
- धारा 186 का संशोधन 33—मूल अधिनियम की धारा 186 में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।
- धारा 187 का संशोधन 34—मूल अधिनियम की धारा 187 में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।
- धारा 187-क का संशोधन 35—मूल अधिनियम की धारा 187-क में, जहां कहीं भी शब्द "अथवा सीरदार" और "या सीरदार" आये हों निकाल दिये जायेंगे।
- धारा 189 का संशोधन 36—मूल अधिनियम की धारा 189 में, जहां कहीं भी शब्द "भूमिधर" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।
- धारा 190 का संशोधन 37—मूल अधिनियम की धारा 190 में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।
- धारा 191 का संशोधन 38—मूल अधिनियम की धारा 191 में, शब्द "या सीरदार" निकाल दिये जायेंगे।
- धारा 193 का संशोधन 39—मूल अधिनियम की धारा 193 में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "भूमिधर" रख दिया जायगा।
- धारा 194 का संशोधन 40—मूल अधिनियम की धारा 194 में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्—  
 "(क) भूमि किसी भूमिधर के पास रही हो और ऐसी भूमि में उसका स्वत्व धारा 189-के खंड (क) या खंड (कक) या धारा 190 के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (गग) या खंड (ङ) के अधीन समाप्त हो गया हो;"
- धारा 195 का संशोधन 41—मूल अधिनियम की धारा 195 में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।
- धारा 196 का निकाला जाना 42—मूल अधिनियम की धारा 196 निकाल दी जायगी।
- धारा 198 का संशोधन 43—मूल अधिनियम की धारा 198 में,—  
 (एक) शब्द "सीरदार" जहां वह प्रथम बार आया है, उसके स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।  
 (दो) स्पष्टीकरण में, खंड (1) में, शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायेगा।  
 (तीन) उपधारा (3) में शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायेगा।
- धारा 199, 200 और 201 का प्रतिस्थापन 44—मूल अधिनियम की धारा 199, 200 और 201 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—  
 "199 जैसा इस अधिनियम में उपबन्धित है, उसके सिवाय कोई भूमिधर अपनी जोत भूमिधरों को से बेदखल नहीं किया जायगा।  
 बेदखली

200—जैसा इस अधिनियम में उपबंधित है, उसके सिवाय कोई असामी अपनी जोत से असामी की बेदेखली बेदेखल नहीं किया जायगा।

201—असंक्रमणीय अधिकार वाला कोई भूमिधर, गांव सभा के वाद पर अपनी जोत गांव सभा के वाद से धारा 206 या 212 में उल्लिखित किसी आधार पर बेदेखल पर बेदेखली किया जा सकेगा।”

45 - मूल अधिनियम की धारा 202 में, खंड (क) में, अंक "167" निकाल दिया जायगा।

46--मूल अधिनियम की धारा 206 में, शब्द "सीरदार या" निकाल दिये जायेंगे।

47--मूल अधिनियम की धारा 207 में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार या" आया हो, उन्हें निकाल दिया जायगा।

48-- मूल अधिनियम की धारा 209 में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसे निकाल दिया जायगा।

49--मूल अधिनियम की धारा 210 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेंगी, अर्थात्—  
"210-- यदि उस परिसीमा काल में, जो ऐसे वाद या ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिये धारा 209 के यथास्थिति उपबन्धित है, धारा 209 के अधीन किसी भूमि से अधीन वाद प्रस्तुत न करने का किया जाता है या किसी ऐसे वाद में प्राप्त बेदेखली की डिक्री को परिणाम निष्पादित नहीं किया जाता है, तो कब्जा करने या रखने वाला

व्यक्ति--

(क) जहां भूमि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की जोत का भाग हो, ऐसी भूमि का संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायगा और ऐसी भूमि पर, यदि कोई असामी हो तो उसके अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे।

(ख) जहां भूमि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की जोत का भाग हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायगा और ऐसी भूमि पर, यदि कोई असामी हो तो उसके अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे।

(ग) जहां भूमि गांव सभा की ओर से किसी असामी की जोत का भाग हो, जोत का असामी वर्ष प्रति वर्ष हो जायगा।”

50—मूल अधिनियम की धारा 211 निकाल दी जायगी।

51--मूल अधिनियम की धारा 228 में, शब्द "सीरदारों और" निकाल दिये जायेंगे और उसके स्पष्टीकरण में, शब्द "सीरदारों या" निकाल दिये जायेंगे।

52--मूल अधिनियम की धारा 229-ख में, शब्द "या सीरदार जैसी भी दशा हो" निकाल दिये जायेंगे।

53--मूल अधिनियम की धारा 229-ग में, शब्द "अथवा सीरदार" निकाल दिये जायेंगे।

54--मूल अधिनियम की धारा 230 में, उपधारा (2) में:-

(एक) खंड (क), (ख), (ग) और (घ) निकाल दिये जायेंगे।

(दो) खंड (छ) में, शब्द "सीरदार और असामी" निकाल दिये जायेंगे।

55--मूल अधिनियम की धारा 240-ख में, जहां कहीं भी शब्द "सीरदार" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।

56--मूल अधिनियम की धारा 250 में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।

57--मूल अधिनियम की धारा 267-क में, शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।

58--मूल अधिनियम के अध्याय 10 में, सीरदारों के प्रति सभी अभिदेश, जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेंगे।

59--मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में--

(एक) क्रम संख्या 6 और 8 की वर्तमान प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी।

(दो) क्रम संख्या 15 में, स्तम्भ 3 में, शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे।

धारा 202 का संशोधन

धारा 206 का संशोधन

धारा 207 का संशोधन

धारा 209 का संशोधन

धारा 210 का प्रतिस्थापन

धारा 211 का निकाला जाना

धारा 228 का संशोधन

धारा 229-ख का संशोधन

धारा 229-ग का संशोधन

धारा 230 का संशोधन

धारा 240-ख का संशोधन

धारा 250 का संशोधन

धारा 267-क का संशोधन

अध्याय 10 का संशोधन

अनुसूची 2 का संशोधन

(तीन) क्रम-संख्या 16 में, स्तम्भ 3 में, शब्द "या सीरदार" निकाल दिये जायेंगे।

(चार) क्रम-संख्या 22 में, स्तम्भ 3 में शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे;

(पांच) क्रम-संख्या 25 की वर्तमान प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी।

### अध्याय तीन

#### जौनसार बाबर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956

उ० प्र० अधि-  
नियम संख्या 11,  
1956 की धारा  
31 का संशोधन

60—जौनसार-बाबर जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 31 में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

“(क) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर;

(ख) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर;”

धारा 32 और 33  
का प्रतिस्थापन

61—मूल अधिनियम की धारा 32 और 33 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्—

“32—निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 33 में अभिदिष्ट व्यक्ति न हो, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व भूमिधर था,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व दिनांक को धारा 33 के, जैसा वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, खण्ड (क) या खण्ड (ग) में, अभिदिष्ट सीरदार था,

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले।

33—निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असंक्रमणीय अधिकार वाला असंक्रमणीय अधि- भूमिधर कहा जायगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों, या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व कोई खाली भूमि सीरदार के रूप में उठा दी गई हो,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले,

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1952 के अधीन कोई भूमि प्रदिष्ट हो या की जाय।”

धारा 35 का  
संशोधन

62—मूल अधिनियम की धारा 35 में, शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायगा।

### अध्याय चार

#### कुमायू तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन

उ० प्र० अधि-  
नियम संख्या 17,  
1960 की धारा  
42 का संशोधन

63—कुमायू तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 42 में खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

“(क) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर;

(ख) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर;”

64—मूल अधिनियम की धारा 43 और 44 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ रख दी जायेंगी, अर्थात्—

धारा 43 और 44 का प्रतिस्थापन

“43—निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 44 में अभिदिष्ट संक्रमणीय अधि- व्यक्ति न हो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायगा कार वाला भूमि- और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमि- धरों को, प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व भूमिधर था,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त दिनांक के पूर्व या पश्चात् धारा 34 के अधीन ऐसे भूमिधर के अधिकारों का क्रेता है,

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व धारा 36 के खण्ड (क) में अभिदिष्ट सीरदार था,

(घ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले ।

44—निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असंक्रमणीय अधिकार वाला असंक्रमणीय अधिकार भूमिधर कहा जायगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे वाला भूमिधर और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 44 के जैसा कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व थी, खण्ड (क) के अधीन सीरदार था,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अधीन कोई भूमि प्रदिष्ट हो या की जाय ।”

65—मूल अधिनियम की धारा 45 में, शब्द “सीरदारी” जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर शब्द “भूमिधरी” रख दिया जायगा ।

धारा 45 का संशोधन

### अध्याय पांच

#### यू 0 पी 0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

66. यू 0 पी 0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 33 में, उपधारा (4) में, . .

यू 0 पी 0 ऐक्ट संख्या 3, 1901 की धारा 33 का संशोधन

(क) शब्द “भूमिधर या सीरदार” के स्थान पर शब्द “भूमिधर” रख दिया जायगा, और

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्द “खातेदार की सीरदारी और भूमिधरी खातों के लिए” के स्थान पर शब्द “किसी भूमिधर के समस्त खातों के लिए चाहे उसके पास वह संक्रमणीय अधिकार सहित या उसके बिना हो,” रख दिये जायेंगे ।

67. मूल अधिनियम की धारा 33-क में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् . .

धारा 33-क का संशोधन

“(2) किसी व्यक्ति के जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 195 के अधीन किसी भूमि का सीरदार था ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उक्त धारा के अधीन असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर या द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 197 के अधीन किसी भूमि का असामी हो गया है, सम्बन्ध में उपधारा (1) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।”

धारा 50 का  
प्रतिस्थापन

68- मूल अधिनियम की धारा 50 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् -

“50. जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अन्तर्गत हो, तब अभिलेख अधिकारी सीमा चिन्ह लगाने की यह निर्देश देते हुए उद्घोषणा कर सकता है कि सभी गांव अभिलेख अधिकारी की सभा और भूमिधर पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे सीमा-चिन्ह लगायें जिन्हें उनके गांवों और खेतों की सीमा को निर्धारित करने के लिये अभिलेख अधिकारी आवश्यक समझें और उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उनके द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में अभिलेख अधिकारी ऐसे सीमा-चिन्ह लगा सकता है और तब कलेक्टर उनके लगाने की लागत सम्बद्ध गांव सभा या भूमिधरों से वसूल करेगा।”

नयी धारा  
231 का बढ़ाया  
जाना

69. मूल अधिनियम की धारा 230 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् -

“231. जहां किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अधीनस्थ प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का पालन किया जाना है, वहां शक्तियों का प्रयोग वरिष्ठ ऐसी शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का पालन उससे वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा किया जाना किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।”

अध्याय छः

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 का संशोधन

उ० प्र० अधि-  
नियम संख्या 35,  
1972 में नयी  
धारा 5-क का  
बढ़ाया जाना

70. उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् -

“5 क- (1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले दिनांक से ग्रामीण विकास प्राचीण विकास निधि निधि समिति नामक एक समिति का गठन किया जायगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् -

- (क) राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, जो उसका अध्यक्ष होगा;
- (ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सिंचाई विभाग;
- (ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा विभाग;
- (घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग;
- (ङ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, स्वायत्त शासन विभाग;
- (च) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, विद्युत् विभाग;
- (छ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग;
- (ज) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग;
- (झ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, उपधारा (1) में उल्लिखित विभागों के सचिव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये अपना-अपना प्रस्ताव तैयार करेंगे और उक्त उपधारा में उल्लिखित समिति को वास्तविक योजना प्रस्तुत करेंगे जिसमें अनुमानित व्यय दिखाया जायगा।

(3) समिति प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् प्रत्येक मद के लिये आवश्यक निधि प्रदिष्ट करेगी।”

अध्याय सात

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 का संशोधन

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
10, 1953 की  
धारा 2 का  
संशोधन

71. - उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (ग) में, उपखण्ड (1) में, शब्द “भूमिधर या सीरदार” के स्थान पर शब्द “भूमिधर या सरकारी पट्टेदार” रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का  
संशोधन

72. मूल अधिनियम की धारा 14 में, -

- (क) उपधारा (1) में, खण्ड (1) में, शब्द “सीरदार” के स्थान पर शब्द “असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर” रख दिये जायेंगे।
- (ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।
- (ग) स्पष्टीकरण में, शब्द “सीरदार” निकाल दिया जायगा।



अध्याय आठ

प्रकीर्ण

73. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 134 और 135, जैसा कि वे 28 जनवरी, 1977 के ठीक पूर्व थीं, के अधीन भूमिधरी अधिकारों के अर्जन के लिए सभी कार्य-वाहियां और उससे उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियां जो ऐसे दिनांक को किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, उपशमित हो जायेंगी।

संक्रमणकालीन  
उपबन्ध

(2) जहां कोई कार्यवाही उपधारा (1) के अधीन उपशमित हो गयी हो वहां ऐसे अधिकारों का अर्जन करने के लिये जमा की गयी धनराशि यथास्थिति, जमा करने वाले व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधियों को वापस कर दी जायगी।

74. कुमायूं नयाबाद और वंजर भूमि का ऐक्ट, 1948 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन

75. (1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तदनु रूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

No. 2183(2)/XVII-V-1-57-1977

Dated Lucknow, July 24, 1977

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoomi Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1977 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1977) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 24, 1977 :

THE UTTAR PRADESH LAND LAWS (AMENDMENT) ACT, 1977

(U. P. ACT NO. 8 of 1977)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, Jaunsar-Bāwar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960, U. P. Land Revenue Act, 1901, Uttar Pradesh Land Development Tax Act, 1972, Uttar Pradesh Bhoodan Yagna Act, 1952, and to repeal the Kumaun Nayabad and Waste Lands Act, 1948.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977.

Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 28, 1977.

CHAPTER II

Amendment of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950

2. In section 129 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (hereinafter in this chapter referred to as the principal Act) for clauses (1) and (2), the following clauses shall be substituted, namely—

Amendment of section 129 of U. P. Act I of 1951.

“(1) *bhumidhar* with transferable rights ;

(2) *bhumidiar* with non-transferable rights ; ”

30 प्र०  
गजट संख्या  
31,1948  
उत्तर प्रदेश  
असाधारण  
गजट संख्या 9;  
1977

Substitution of sections 130 and 131.

3. For sections 130 and 131 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely :—

“130. Every person belonging to any of the following classes, not being a person referred to in section 131, shall be called a *bhumidhar* with transferable rights, and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon such *bhumidhars* by or under this Act, namely—

(a) every person who was a *bhumidhar* immediately before the date of commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977 ;

(b) every person who, immediately before the said date, was a *sirdar* referred to in clause (a) or clause (c) of section 131, as it stood immediately before the said date ;

(c) every person who in any other manner acquires on or after the said date the rights of such a *bhumidhar* under or in accordance with the provisions of this Act.

131. Every person belonging to any of the following classes shall be called a *bhumidhar* with non-transferable rights, and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon such *bhumidhars* by or under this Act, namely—

(a) every person admitted as a *sirdar* of any land under section 195 before the date of commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977, or as a *bhumidhar* with non-transferable rights under the said section on or after the said date ;

(b) every person who in any other manner acquires on or after the said date, the rights of such a *bhumidhar* under or in accordance with the provisions of this Act ;

(c) every person who is, or has been allotted any land under the provisions of the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna Act, 1952.”

Amendment of section 132.

4. In section 132 of the principal Act, for the word ‘*sirdari*’ wherever occurring, the words ‘*bhumidhari*’ shall be substituted.

Amendment of section 133.

5. In section 133 of the principal Act, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely—

“(b) every person, who was admitted before the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977 by a *bhumidhar* or *sirdar* or, after such commencement, by a *bhumidhar* as a lessee of land comprised in his holding, in accordance with the provisions of this Act.”

Omission of section 134.

6. Section 134 of the principal Act shall be omitted.

Omission of section 135.

7. Section 135 of the principal Act shall be omitted.

Omission of section 136.

8. Section 136 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 137.

9. In section 137 of the principal Act, in sub-section (1), after the word and figures “section 135” the word and figures “as it stood immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977,” shall be inserted.

Omission of section 138.

10. Section 138 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 146.

11. In section 146 of the principal Act, for the words “A *sirdar* or *asami*”, wherever occurring, the words “an *asami*” shall be substituted.

Substitution of sections 152 and 153.

12. For sections 152 and 153 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely :—

“152. (1) The interest of a *bhumidhar* with non-transferable rights shall, subject to the conditions hereinafter contained, be transferable.  
Certain transfers by *bhumidhar* with non-transferable rights permissible.

(2) A *bhumidhar* with non-transferable rights may, in such circumstances as may be prescribed, mortgage, without possession, his interest in his holding, as security for a loan taken from the State Government by way of *tagavi* or from a co-operative society or from the State Bank of India, or from any other bank, which is a scheduled bank, within the meaning of clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934, or from the Uttar Pradesh State Agro-Industrial Corporation Limited and may also transfer, by way of gift, the interest in his holding, except the part thereof which has been so mortgaged, to a recognised educational institution for any purpose connected with instructions in agriculture, horticulture and animal husbandry.

153. Except as expressly permitted by this Act, the interest of an *asami* Interest of an shall not be transferable."  
*asami* not trans-  
ferable.

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 13. In section 156 of the principal Act, the word " <i>sirdar</i> " shall be omitted.  | Amendment of section 156.   |
| 14. In section 157 of the principle Act, the words "or <i>sirdar</i> " shall be omitted.   | Amendment of section 157.   |
| 15. In section 157-A of the principal Act,—<br>(a) the word " <i>sirdar</i> " where it occurs for the first time shall be omitted.<br>(b) in the proviso, for the words " <i>bhumidhar, sirdar</i> or <i>asami</i> " the words " <i>bhumidhar</i> with transferable rights or <i>asami</i> " shall be substituted.   | Amendment of section 157-A. |
| 16. In section 160 of the principal Act, the words "or <i>sirdar</i> , as the case may be" shall be omitted.   | Amendment of section 160.   |
| 17. In section 161 of the principal Act, for the words " <i>bhumidhar</i> or <i>sirdar</i> " wherever occurring the word " <i>bhumidhar</i> " shall be substituted.  | Amendment of section 161.   |
| 18. In section 165 of the principal Act,—<br>(i) for the words "when a <i>bhumidhar</i> other than one referred to in section 157 has let out his holding or any part thereof", the words "where a <i>bhumidhar</i> has let out his holding or any part thereof in contravention of the provisions of section 156 or section 157" shall be substituted ;<br>(ii) in clause (a) for the word " <i>sirdar</i> " the words " <i>bhumidhar</i> with non-transferable rights" shall be substituted. | Amendment of section 165.   |
| 19. In section 166 of the principal Act, for the word " <i>sirdar</i> ", the words " <i>bhumidhar</i> with non-transferable rights" shall be substituted.  | Amendment of section 166.   |
| 20. Section 168 of the principal Act shall be omitted.   | Omission of section 168.    |
| 21. In section 168-A of the principal Act, in sub-section (3), the word and figures "and 168" shall be omitted.  | Amendment of section 168-A. |
| 22. In section 169 of the principal Act for the word " <i>bhumidhar</i> " wherever occurring the words " <i>bhumidhar</i> with transferable rights" shall be substituted.  | Amendment of section 169.   |
| 23. In section 170 of the principal Act, for the word " <i>sirdar</i> ", the words " <i>bhumidhar</i> with non-transferable rights" shall be substituted.  | Amendment of section 170.   |
| 24. In section 171 of the principal Act, the word " <i>sirdar</i> " shall be omitted.  | Amendment of section 171.   |
| 25. In section 172 of the principal Act, the word " <i>sirdar</i> " and the words "or <i>sirdar</i> " wherever occurring shall be omitted.   | Amendment of section 172.   |
| 26. Section 172-A of the principal Act shall be omitted.   | Omission of section 172-A.  |
| 27. In section 174 of the principal Act, the word " <i>sirdar</i> " wherever occurring shall be omitted.   | Amendment of section 174.   |

- Amendment of section 176. 28. In section 176 of the principal Act, the word "or sirdar" shall be *omitted*.
- Amendment of section 178. 29. In section 178 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (b), *after* the word and figures "section 134", the words and figures "as it stood immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977" shall be *inserted*.
- Amendment of section 182-B. 30. In section 182-B of the principal Act, the words "or sirdar" shall be *omitted*.
- Amendment of section 183. 31. In section 183 of the principal Act, *for* the word "sirdar", wherever occurring, the words "bhumidhar with non-transferable rights", shall be *substituted*.
- Amendment of section 185. 32. In section 185 of the principal Act, *for* the word "sirdar", the words "bhumidhar with non-transferable rights" shall be *substituted*.
- Amendment of section 186. 33. In section 186 of the principal Act, *for* the word "sirdar" wherever occurring the words "bhumidhar with non-transferable rights" shall be *substituted*.
- Amendment of section 187. 34. In section 187 of the principal Act, *for* the word "sirdar" wherever occurring, the words "bhumidhar with non-transferable rights" shall be *substituted*.
- Amendment of section 187-A. 35. In section 187-A of the principal Act, the words "or sirdar" wherever occurring shall be *omitted*.
- Amendment of section 189. 36. In section 189 of the principal Act, *for* the word "bhumidhar" wherever occurring the words "bhumidhar with transferable rights" shall be *substituted*.
- Amendment of section 190. 37. In section 190 of the principal Act, *for* the word "sirdar" wherever occurring the words "bhumidhar with non-transferable rights" shall be *substituted*.
- Amendment of section 191. 38. In section 191 of the principal Act, the words "or sirdar" shall be *omitted*.
- Amendment of section 193. 39. In section 193 of the principal Act, *for* the word "sirdar" the word "bhumidhar" shall be *substituted*.
- Amendment of section 194. 40. In section 194 of the principal Act, *for* clauses (a) and (b), the following clause shall be *substituted*, namely—  
 "(a) the land was held by a bhumidhar, and his interest in such land is extinguished under clause (a) or clause (aa) of section 189 or clause (a), clause (b), clause (c), clause (cc) or clause (e) of section 190."
- Amendment of section 195. 41. In section 195 of the principal Act, *for* the word "sirdar" the words "bhumidhar with non-transferable rights" shall be *substituted*.
- Omission of section 196. 42. Section 196 of the principal Act shall be *omitted*.
- Amendment of section 198. 43. In section 198 of the principal Act—  
 (i) *for* the word "sirdar" where it occurs for the first time, the words "bhumidhar with non-transferable rights", shall be *substituted* ;  
 (ii) in Explanation, in clause (1), the word "sirdar" shall be *omitted* ;  
 (iii) in sub-section (3), the word "sirdar" shall be *omitted*.
- Substitution of sections 199, 200 and 201. 44. *For* sections 199, 200 and 201 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—  
 "199. No bhumidhar shall be liable to ejection from his holding, Eviction of except as provided in this Act.  
 bhumidhar."

200. No *asami* shall be liable to ejection from his holding except Eviction of *asami* as provided in this Act.

201. A *bhumidhar* with non-transferable rights shall be liable to Eviction on the suit of the Gaon Sabha on any of the grounds mentioned in section 206 or 212."

45. In section 202 of the principal Act, in clause (a) figures "167" shall be omitted. Amendment of section 202.

46. In section 206 of the principal Act, the words "*sirdar* or" shall be omitted. Amendment of section 206.

47. In section 207 of the principal Act, the words "*sirdar* or", wherever occurring, shall be omitted. Amendment of section 207.

48. In section 209 of the principal Act, the word "*sirdar*" wherever occurring, shall be omitted. Amendment of section 209.

49. For section 210 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— Substitution of section 210.

"210. If a suit for eviction from any land under section 209 is not instituted by a *bhumidhar* or *asami*, or a decree for eviction obtained in any such suit is not executed within the period of limitation provided for institution of such suit or the execution of such decree, as the case may be, the person taking or retaining possession shall—

Consequences of failure to file suit under section 209.

(a) where the land forms part of the holding of a *bhumidhar* with transferable rights, become a *bhumidhar* with transferable rights of such land and the right, title and interest of an *asami*, if any, in such land shall be extinguished;

(b) where the land forms part of the holding of a *bhumidhar* with non-transferable rights, become a *bhumidhar* with non-transferable rights and the right, title and interest of an *asami*, if any, in such land shall be extinguished;

(c) where the land forms part of the holding of an *asami* on behalf of the Gaon Sabha, become an *asami* of the holding from year to year."

50. Section 211 of the principal Act shall be omitted. Omission of section 211.

51. In section 228 of the principal Act the words "*sirdar* and" shall be omitted, and in the Explanation thereto, the words "or *sirdar*" shall be omitted. Amendment of section 228.

52. In section 229-B of the principal Act the words "or *sirdar*" as the case may be, shall be omitted. Amendment of section 229-B.

53. In section 229-C of the principal Act, the words "or *sirdar*" shall be omitted. Amendment of section 229-C.

54. In section 230 of the principal Act, in sub-section (2)— Amendment of section 230.

(i) clauses (a), (b), (c) and (d) shall be omitted.

(ii) in clause (g), the words "of *sirdar* and *asami*" shall be omitted.

55. In section 240-B of the principal Act, for the word "*sirdar*", wherever occurring the words "*bhumidhar* with non-transferable rights" shall be substituted. Amendment of section 240-B.

56. In section 250 of the principal Act, for the word "*sirdar*", the words "*bhumidhar* with non-transferable rights" shall be substituted. Amendment of section 250.

57. In section 267-A of the principal Act, for the word, "*bhumidhar*" the words "*bhumidhar* with transferable rights" shall be substituted. Amendment of section 267-A.

Amendment of Chapter X. 58. In Chapter X of the principal Act, all references to *sirdars*, wherever occurring, shall be *omitted*.

Amendment of Schedule II. 59. In Schedule II to the principal Act—

(i) the existing entries at serial numbers 6 and 8 shall be *omitted* ;

(ii) in serial number 15, for the word "*sirdar*" in column no. 3, the words "*Bhumidhar with non-transferable rights*" shall be *substituted* ;

(iii) in serial number 16, the words "or *sirdar*" in column 3, shall be *omitted*;

(iv) in serial number 22, for the word "*sirdar*" in column 3, the words "*bhumidhar with non-transferable rights*" shall be *substituted*.

(v) The existing entries at serial number 25 shall be *omitted*.

### CHAPTER III

#### Amendment of the Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956

Amendment of section 31 of U.P. Act XI of 1956. 60. In section 31 of the Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956 (hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act), for clauses (a) and (b) the following clauses shall be *substituted*, namely—

"(a) *bhumidhar with transferable rights* ;

(b) *bhumidhar with non-transferable rights* ;"

Substitution of sections 32 and 33. 61. For sections 32 and 33 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely—

"32. Every person belonging to any of the following classes not being a person referred to in section 33, shall be called a *bhumidhar with transferable rights* and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon such *bhumidhars* by or under this Act, namely—

(a) every person who was a *bhumidhar* immediately before the date of commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977 ;

(b) every person who immediately before the said date was a *sirdar* referred to in clause (a) or clause (c) of section 33, as it stood immediately before the said date ;

(c) every person who in any other manner acquires on or after the said date the rights of such a *bhumidhar* under or in accordance with the provisions of this Act.

33. Every person belonging to any of the following classes shall be called a *bhumidhar with non-transferable rights*, and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon such *bhumidhars* by or under this Act, namely—

(a) every person admitted as a *sirdar* of any vacant land before the date of commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977.

(b) every person who in any other manner acquires on or after the said date, the rights of such a *bhumidhar* under or in accordance with the provisions of the this Act ;

(c) every person who is or has been allotted any land under the provisions of the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna Act, 1952."

Amendment of section 35.

62. In section 35 of the principal Act, the word "*sirdar*" shall be *omitted*.

CHAPTER IV

Amendment of the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960

63. In section 42 of the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960 (hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely—

Amendment of section 42 of U. P. Act no. 17 of 1960.

- “(a) *bhumidhar* with transferable rights ;
- (b) *bhumidhar* with non-transferable rights;”

64. For sections 43 and 44 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely—

Substitution of sections 43 and 44.

“43. Every person belonging to any of the following classes not being *Bhumidhar* with a person referred to in section 44, shall be called a transferable rights. *bhumidhar* with transferable rights and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon such *bhumidhars* by or under this Act, namely—

- (a) every person who was a *bhumidhar* immediately before the date of commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977 ;
- (b) every person who is the purchaser of the rights of such a *bhumidhar* under section 34, either before or after the said date ;
- (c) every person who, immediately before the said date was a *sirdar* referred to in clause (a) of section 36 ;
- (d) every person who in any other manner acquires on or after the said date the rights of such a *bhumidhar* under or in accordance with the provisions of this Act.

44. Every person belonging to any of the following classes shall be called a *bhumidhar* with non-transferable rights and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon such *bhumidhars* by or under this Act, namely—

- (a) every person who was a *sirdar* under clause (a) of section 44, as it stood immediately before the date of commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977 ;
- (b) every person who in any other manner acquires on or after the said date the rights of such a *bhumidhar* under or in accordance with the provisions of this Act ;
- (c) every person who is or has been allotted any land under the provisions of the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna Act, 1952.”

65. In section 45 of the principal Act, for the word “*sirdari*” wherever occurring, the word “*bhumidhari*” shall be substituted.

Amendment of section 45.

CHAPTER V

Amendment of U. P. Land Revenue Act, 1901

66. In section 33 of the U. P. Land Revenue Act, 1901 (hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act), in sub-section (4)—

Amendment of section 33 of U. P. Act III of 1901.

- (a) for the words “*bhumidhar* or *sirdar*”, the word “*bhumidhar*” shall be substituted; and
- (b) in the Explanation, for the words “for *sirdari* as well as *bhumidhari* holdings of a tenure holder”, the words “for all the holdings of a *bhumidhar* whether held with or without transferable rights” shall be substituted.

67. In section 33-A of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely—

Amendment of section 33-A.

“(2) The provisions of sub-section (1) shall *mutatis mutandis* apply to a person who has been admitted as a *sirdar* of any land under section 195 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act,

1950 before the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977, or as a *bhumidhar* with non-transferable rights under the said section after such commencement, or as an *asami* of any land under section 197 of the first mentioned Act."

Substitution of section 50. 68. For section 50 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely—

"50. When any local area is under survey operations the Record Officer may issue a proclamation directing all Gaon Sabhas and *bhumidhars* to erect, within fifteen days such boundary marks, as he may think necessary to define the limits of the villages and fields and in default of their compliance within the time specified in the proclamation, he may cause such boundary marks to be erected, and the Collector shall recover the cost of their erection from the Gaon Sabhas or *bhumidhars* concerned."

Insertion of new section 231. 69. After section 230 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely—

"231. Where any powers are to be exercised or duties to be performed by any officer or authority under this Act, such powers or duties may also be exercised or performed by an officer or authority superior to him or it."

## CHAPTER VI

### Amendment of the Uttar Pradesh Land Development Tax Act, 1972

Insertion of new section 5-A in U. P. Act no. 35 of 1972. 70. After section 5 of the Uttar Pradesh Land Development Tax Act, 1972, the following new section shall be inserted, namely—

"5-A. (1) As from the date to be notified by the State Government, there shall be constituted a Committee known as Gramin Vikas Nidhi Samiti. Vikas Nidhi Samiti which shall consist of the following members, namely—

- (a) The Revenue Minister in the State Government who shall be the Chairman thereof ;
- (b) The Secretary to the State Government in the Irrigation Department ;
- (c) The Secretary to the State Government in the Medical Department ;
- (d) The Secretary to the State Government in the Public Works Department ;
- (e) The Secretary to the State Government in the Local Self-Government Department ;
- (f) The Secretary to the State Government in the Power Department ;
- (g) The Secretary to the State Government in the Revenue Department ;
- (h) The Secretary to the State Government in the Finance Department ;
- (i) The Secretary to the State Government in the Planning Department.

(2) In the beginning of each financial year the Secretaries of the departments mentioned in sub-section (1) shall prepare their respective proposals for the development of rural areas and submit the actual plan showing the estimated expenditure to the Committee mentioned in the said sub-section.

(3) The Committee shall after considering the proposals make necessary allotment of funds for each item."



CHAPTER VII

Amendment of Uttar Pradesh Bhoodan Yagna Act, 1952

71. In section 2 of the Uttar Pradesh-Bhoodan Yagna Act, 1952 (hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act), in clause (c), in sub-clause (i) for the words "bhumidhar or sirdar", the words "bhumidhar or Government Lessee" shall be substituted.

Amendment of section 2 of U.P. Act X of 1953.

72. In section 14 of the principal Act—

Amendment of section 14.

(a) in sub-section (1), in clause (i), for the word "sirdar", the words "bhumidhar with nontransferable rights" shall be substituted ;

(b) sub-section (3) shall be omitted ;

(c) in the Explanation, the word "sirdar" shall be omitted.

CHAPTER VIII

Miscellaneous

73. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force all proceedings for acquisition of *bhumidhari* rights under sections 134 and 135 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, as they stood immediately before January 28, 1977 and all proceedings arising therefrom, pending on such date before any court or authority shall abate.

Transitory provisions.

(2) Where any proceeding has abated under sub-section (1) the amount deposited for the acquisition of such rights shall be refunded to the person depositing the same or to his legal representatives as the case may be.

74. The Kumaun Nayabad and Waste Lands Act, 1948 is hereby repealed.

Repeal of U. P. Act no. 32 of 1948.

75. (1) The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Third Amendment) Ordinance, 1977 is hereby repealed.

Repeal of U. P. Ordinance no. 9 of 1977.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Act as amended by this Act, as if this Act, were in force at all material times.

आज्ञा से,  
कैलाश नाथ गोयल,  
सचिव ।